

नजी अस्पतालों को सूचीबद्ध (एमपैनलमेंट) करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च

चर्चा में क्यों?

5 अप्रैल, 2023 को हरियाणा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में लोगों को पारदर्शी एवं त्वरित स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाने की प्रतिबद्धता के तहत हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनलि वजि ने एक ऑनलाइन पोर्टल व एक सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग की।

प्रमुख बिंदु

- इस पोर्टल पर अब नजी अस्पतालों को निर्धारित समय पर जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और उन्हें ऑनलाइन एमपैनलमेंट प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।
- इस पोर्टल पर नजी अस्पतालों को आवश्यक वैध दस्तावेजों के पूरे सेट के साथ जमा किये जाएंगे। लॉगिन आईडी को 4 स्तरों पर बनाया गया है जिसमें पीएम शाखा (एएसएमओ/डीडी), डीजीएचएस, एसीएस (स्वास्थ्य) और स्वास्थ्य मंत्री प्रसंस्करण के लिये और बाद में आवेदनों को स्वीकृत/अस्वीकार करने के लिये है।
- राज्य सरकार अपने कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को विशेष रूप से तृतीयक और सुपर-स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने के लिये सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के अलावा नजी अस्पतालों के पैनल के माध्यम से इसकी सुविधा प्रदान कर रही है। उच्चतम गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 2017 से केवल जेसीआई/एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों को पैनल में लिया गया है और पैनल में शामिल होने के लिये कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता है।
- वर्तमान में, पैनल में शामिल होने के लिये आवेदन हार्ड कॉपी में, डीजीएचएस कार्यालय में दस्ती या डाक द्वारा जमा किये जाते हैं। आवेदनों को फाइल पर लिया जाता है और स्वास्थ्य मंत्री से लेकर क्लर्क तक अंतिम अनुमोदन तक विभिन्न स्तरों पर संसाधित किया जाता है।
- इसी प्रकार, ऑनलाइन एमपैनलमेंट पोर्टल ऐसे आवेदनों के कुशल और त्वरित प्रसंस्करण को संभव करेगा, जिसमें एप्लिकेशन की रीयल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा भी है। आवेदन में कमियाँ, यदि कोई हों, को आवेदक अस्पतालों द्वारा सुधार के लिये पोर्टल पर हाइलाइट किया जाएगा और इससे किसी भी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता भी नहीं होगी।
- इसमें अधिकारियों के लिये आवेदनों की कार्यक्षमता/लंबितता की निगरानी के लिये डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। प्रत्येक पैनलबद्ध अस्पताल के बारे में पूरी जानकारी के साथ उपयोगकर्ताओं (राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों) के लिये डैशबोर्ड में पैनल में शामिल होने की अवधि, सेवाओं का दायरा, बसिंटरों का वविरण, डॉक्टरों का वविरण इत्यादि भी दर्शाया गया है।
- इसके अलावा, यह ऑनलाइन एमपैनलमेंट पोर्टल हरियाणा सरकार की कुशल, पारदर्शी और तेज सेवा वविरण की प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण है जिसके तहत नजी अस्पतालों को एमपैनलमेंट का ऑनलाइन प्रमाण-पत्र मिलेगा।
- वदिति है कि वर्तमान में, राज्य सरकार के पैनल में 423 (211 मल्टी-स्पेशियलिटी और 208 सगिल स्पेशलिटी) नजी अस्पताल हैं।